भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3675

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जम्मू और कश्मीर में एम्स

†3675. श्री अब्दुल रशीद शेखः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर कश्मीर मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्र है, ऐसे में सरकार उत्तर कश्मीर में एम्स की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और
(ग) जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा/पराचिकित्सीय कर्मचारियों को पर्याप्त उपकरण/परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने और रिक्तियों को भरने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): साम्य, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुँच में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। एनएचएम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधनों के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र द्वारा जारी राशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	केंद्र द्वारा जारी राशि
1.	2021-22	459.10
2.	2022-23	651.52
3.	2023-24	805.22

नोट:

1. उपरोक्त जारी राशि केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का हिस्सा शामिल नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र द्वारा जारी राशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	केंद्र द्वारा जारी राशि
1.	2021-22	16.11
2.	2022-23	1.00
3.	2023-24	44.01

नोट:

1. उपरोक्त जारी राशि केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का हिस्सा शामिल नहीं है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स, जम्मू के विजयपुर में एक और कश्मीर के अवंतीपुरा में एक एम्स शामिल है। पीएमएसएसवाई के मौजूदा चरण में कश्मीर में एक और एम्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में एम्स की स्थापना के लिए जारी धनराशि का विवरण।

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष में जारी की गई धनराशि	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
एम्स जम्मू	305.00	398.45	402.39	212.22
एम्स अवन्तीपुरा (कश्मीर)	130.00	290.00	333.17	255.00

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को जारी राशि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**राशि**
2021-22	75.12
2022-23	85.62
2023-24	42.22

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का संचालन कर रहा है, जिसमें उन वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस योजना के तहत, जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, बारामुल्ला, डोडा, कठुआ, राजौरी, उधमपुर और हंदवाड़ा में कुल 7 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

"पीजी सीटें बढ़ाने और नए पीजी विषय शुरू करने के लिए मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत और उन्नत बनाने" के लिए सीएसएस के तहत जम्मू और कश्मीर में 196 पीजी सीटों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, "एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाने" के लिए सीएसएस के तहत, दो मेडिकल कॉलेजों में 60 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी गई है।

पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को जारी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

<table>
<tr><th rowspan="2">केंद्र प्रायोजित योजना</th><th colspan="3">केंद्रीय हिस्से से जारी राशि</th></tr>
<tr><th>2021-22</th><th>2022-23</th><th>2023-24</th></tr>
<tr><td>मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना</td><td rowspan="3">वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई राशि जारी नहीं की गई</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>पीजी सीटें बढ़ाने और नए पीजी विषय शुरू करने के लिए मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करना और उनका उन्नयन करना</td><td>11.47</td><td>7</td></tr>
</table>

******